उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
लखनऊ:दिनांक05-06-2025

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम , 1966 (उत्तर पदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक 06.12.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हडताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

Digitally signed by
RAJ KUMAR
Date: 05-06-2025
11:30:21

(राजकुमार)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक05-06-2025 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव , ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

File No. 24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग (Computer No. 1775511)
Generated from eOffice by लोकेन्द्र राणा, ARO(LR)-ENERGY, सहायक समीक्षा अधिकारी, ऊर्जा विभाग on 05/06/2025 11:49 AM

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/983941/2025 Dated05-06-2025

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
Lucknow:Dated05-06-2025

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act. 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no.866/24-P-2-24-1(121)/04, Dated 06.12.2024, is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Viatran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,
Digitally signed by RAJ KUMAR
Date: 05-06-2025 11:28:49
(RAJ KUMAR)
SPECIAL SECRETARY

File No. 24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग (Computer No. 1775511)
Generated from eOffice by लोकेन्द्र राणा, ARO(LR)-ENERGY, सहायक समीक्षा अधिकारी, ऊर्जा विभाग on 05/06/2025 11:50 AM

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
7. सूचना निदेशक, उ०प० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
8. विधायी अनुभाग-1।
9. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
13. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
14. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
15. गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

File No. 24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग (Computer No. 1775511)
Generated from eOffice by लोकेन्द्र राणा, ARO(LR)-ENERGY, सहायक समीक्षा अधिकारी, ऊर्जा विभाग on 05/06/2025 11:50 AM